

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर (छ.ग.)

दुरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर-0771-4033397 ई.मेल-icpsraipur@gmail.com


क्रमांक/1132/मबावि/आईसीपीएस/2019-20

रायपुर, दिनांक/ / 09/2019

—: विज्ञापन —:

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिला रायपुर में खुला आश्रय गृह(बालक) की स्थापना व संचालन के संबंध में "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत प्रस्ताव का आमंत्रण

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 43 के अनुसार रायपुर जिला मुख्यालय में खुला आश्रय गृह (बालक) के स्थापना एवं संचालन हेतु पंजीकृत अशासकीय संस्थाएं/स्वैच्छिक संगठन, जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो, वित्तीय रूप से सक्षम हो तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्थापित होने वाले खुला आश्रय गृह (बालक) (क्षमता 25 बालकों की होगी) के संचालन के इच्छुक हो, से दिनांक 23/09/19 तक कार्यालयीन समयावधि में रूचि की अभिव्यक्ति के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संस्थाएं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई रायपुर को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। खुला आश्रय गृह (बालक) रायपुर की स्थापना के संबंध में निम्नानुसार पैरामीटर होंगे जो विज्ञापन के साथ संलग्न है, खुला आश्रय गृह(बालक) स्थापित करने को इच्छुक या पहले से खुला आश्रय गृह(बालक) चला रहे सभी संगठन और व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिये राज्य सरकार को प्रारूप 27 में आवेदन करेंगे, तथा विस्तृत दिशा निर्देश/मापदण्ड एवं आवेदन का प्रारूप जिला रायपुर के WWW.cg.nic./raipur.gov.in के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-रायपुर (छ.ग.)

खुला आश्रय गृह (बालक) के प्रस्ताव के निम्नानुसार पैरामीटर है:-

1. Turn Over- At least 3 years (2017-19 onwards)

- Up to 20 Lakhs Of Turn Over = 1 Marks
- After 20 Lakhs, for each 5 Lakhs- 1 mark will be added with zero
- Maximum 10 Marks will be given on Turn Over


2. Years of Work Experience in Social Sector

- Up to 5 Years Of work exp. =2 marks
- After 5 Years Of work exp. for each 1 year- 2 mark will be added with zero.
- Maximum 20 Marks will be given on experience.

3. Strategy of setting up CCI

(Marking will be done based on presentation and supporting document of the org.)

- Experience in the field of women and child rights - Maximum 15 Marks
- Availability of existing infrastructure/arrangement - 10 Marks
- Staff strength at present and proposed for set up with details- 10 Marks
- Recruitment and training strategy - 10 Marks
- Timeline to start the project - 10 Marks
- The concept clarity of the organization will finally be evaluated and matched by the committee based on their presentation - 5 Marks
- Work experience in central/state Govt. Project in women and child rights - 10 marks


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-रायपुर (छ.ग.)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत
बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण :
 - (i) संस्था का प्रकार.....
 - (ii) संस्था/संगठन का नाम.....
 - (iii) सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें—पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम, संस्था का ज्ञापन).....
 - (iv) संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि.....
 - (v) आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता.....
 - (vi) एसटीडी कोड/दूरभाष संख्या.....
 - (vii) एसटीडी कोड/फैक्स संख्या.....
 - (viii) ई-मेल पता.....
 - (ix) क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें.....
 - (x) क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है?
हां/नहीं

- (xi) बा०सं०सं० के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या
 (क) मनाही की तारीख
 (ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है
- (xii) बा०सं०सं० के रूप में पंजीकरण न करने के कारण
2. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्थान का विवरण
 (i) प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम
 (ii) बाल देखरेख संस्था की किस्म/प्रकार.....
 (iii) बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित.....
 (iv) एसटीडी कोड/टेलीफोन सं०
 (v) एसटीडी कोड/फैक्स सं०
 (vi) ई-मेल पता
3. पहुंचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम और दूरी) :
 (i) मुख्य मार्ग.....
 (ii) बस स्टैंड.....
 (iii) रेलवे स्टेशन.....
 (iv) कोई अन्य पहचान.....
4. संरचना
 (i) कमरों की संख्या (पैमाइश सहित)
 (ii) शौचालयों की संख्या (पैमाइश सहित)
 (iii) पाकशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित).....
 (iv) चिकित्सा कक्षों की संख्या
 (v) भवन में नक्शे की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रूपरेखीय योजना)
 (vi) अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं?
 (i) आग
 (ii) भूकंप
 (iii) कोई अन्य व्यवस्था
 (iv) पेय जल का प्रबंध
 (v) सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था :
 (vi) कृमि/कीटाणु नाश/नियंत्रण
 (vii) कचरे का निपटान
 (viii) भंडारण क्षेत्र
 (ix) कोई अन्य व्यवस्था
 (x) किराया करार/भवन अनुरक्षण आकलन (जो भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)
5. संस्थान/संगठन की क्षमता
 1. बालकों की संख्या (0-6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)

- ii. बालकों की संख्या (6-10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
 - iii. बालकों की संख्या (11-15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
 - iv. बालकों की संख्या (16-18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
 - v. व्यक्तियों की संख्या (18-21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
6. क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है
7. उपलब्ध सुविधाएं
- (i) शिक्षा सुविधा.....
 - (ii) प्रस्तावित स्वास्थ्य जांच प्रबंध, जांच की आवृत्ति एवं जांच के प्रकार.....
 - (iii) कोई अन्य सुविधा जो बालक के संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी.....
8. स्टाफ व्यवस्था
- (i) स्टाफ सूची का व्यौरा.....
 - (ii) स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव.....
 - (iii) संगठन के साझेदार.....
 - (iv) संगठन के प्रभारी का नाम.....
9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)
- (i) पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां/क्रियाकलाप (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
 - (ii) संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)
 - (iii) परिसंपत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना
 - (iv) क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)
 - (v) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का व्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
 - (vi) अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्क्रीम/परियोजना/उद्देश्य—राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
 - (vii) अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
 - (viii) क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है?
 - (ix) पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें :

| |
|-------------------------------|
| i. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट |
| ii. आय और व्यय लेखा |
| iii. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा |
| iv. संगठन का तलन-पत्रक |

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम नियोजन कार्य में संलग्न रहा है, और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

.....(संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं, इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तिथि :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

साक्षी नंबर 1 :

साक्षी नंबर 2 :